



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55811

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8907 वर्ष 2026

मूलो @ जावित्री

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : गौरव सिंह, मोहम्मद इरफान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इरफान और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना मिलक, जिला रामपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 531 वर्ष 2025, धारा 85, 80(2), 115(2), 351(3) बी.एन.एस. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक मृतक की सास है और झूठे व सामान्य आरोपों के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतक के अपनी 'जेठानी' के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे और घटना के दिन दोनों के बीच गंभीर विवाद हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर उसने कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालांकि, घटना के तुरंत बाद उसके पति उसे अस्पताल ले

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए थे, जो पेपर बुक के पृष्ठ 27 से स्पष्ट है, लेकिन दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

5. उन्होंने आगे बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतक की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका और उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था और पेपर बुक के पृष्ठ 69 पर संलग्न विसरा रिपोर्ट के परिशीलन से पता चलता है कि उसकी मृत्यु एल्यूमीनियम फॉस्फाइड के सेवन के कारण हुई थी।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उसे कई खरोंचें भी आई थीं, लेकिन यह दर्शाता है कि जब उसका पति उसे अस्पताल ले जा रहा था, तब रास्ते में उसे ये खरोंचें आई थीं।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक एक महिला है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 22.12.2025 से, यानी लगभग तीन महीने से जेल में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक मृतक की सास है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, तथा मृतक की विसरा रिपोर्ट के परिशीलन से इस स्तर पर उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और यहाँ तक कि यह भी स्पष्ट है कि उसका पति उसे अस्पताल ले गया था और आवेदक एक महिला है तथा वर्तमान मामले में लगभग तीन महीने से जेल में है, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने की हकदार है।

11. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. आवेदक- मूलो @ जावित्री को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी।

13. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।